संख्या- 364 /2025/ 3522 /चार-2025- 2002518

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025**

विषय:- दिनांक 04 व 05 दिसम्बर, 2025 को आयोजित 'शाहगंज महोत्सव' के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3521/सं0नि0-15(05)/2025-26, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री रमेश सिंह, मा० विधायक, नेता विधानमंडल निषाद पार्टी, 365, शाहगंज, जौनपुर के पत्र दिनांक 02.12.2025 द्वारा दिनांक 04 व 05 दिसम्बर, 2025 की अवधि में आयोजित 'शाहगंज महोत्सव' के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजित किये जाने हेतु विभिन्न कलाकारों के मानदेय एवं यात्रा व्यय पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	दिनांक	कलाकार का नाम	मोबाइल नं0	विधा	वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम की संख्या	मानदेय	किराया	कुल
1	04 दिसम्बर 2025	श्री श्रीकान्त वनवासी, मऊ	8175002342	धोबिया नृत्य	प्रथम	40000.00	16530.00	56530.00
2		श्री फौजदार सिंह (बी हाई)	9839029631	आल्हा गायन	द्वितीय	45000.00	0	45000.00
3		श्री प्रदीप भदौरिया, झाँसी	9936362278	राई लोकनृत्य	द्वितीय	40000.00	28380.00	68380.00
4		सुश्री मोनिका सिंह, लखनऊ (बी हाई)	7007274921	लोक गायन	द्वितीय	45000.00	7714.00	52714.00
5	05 दिसम्बर 2025	सुश्री यामिनी पाण्डेय, लखनऊ (बी हाई)	9415542650	लोक गायन	प्रथम	45000.00	7714.00	52714.00
6		सुश्री मानसी सिंह, लखनऊ (बी हाई)	6394861878	लोक गायन	तृतीय	45000.00	7714.00	52714.00
7		श्री मुकुट बिहारी, मथुरा	9045112500	मथुरा की होली	द्वितीय	40000.00	31530.00	71530.00
8		श्री विन्द्याचल आज़ाद अयोध्या	9794946017	फरवाही लोक नृत्य	द्वितीय	40000.00	16530.00	56530.00
9		सुश्री तनु सोनकर प्रयागराज	9616285279	ढेढ़िया नृत्य	प्रथम	40000.00	16530.00	56530.00
		कुल-(रूपये पाँच लाख बारह हजार छः सौ बयालिस मात्र)				380000.00	132642.00	512642.00

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 04 व 05 दिसम्बर, 2025 को आयोजित 'शाहगंज महोत्सव' के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं यात्रा व्यय पर होने वाले व्यय **रू0 5,12,642.00 (रू0 पांच लाख बारह हजार छ: सौ बयालीस मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in